

कार्यालय-सिविल जज जू0डि0 जालौन, जिला जालौन।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि न्यायालय सिविल जज जू0डि0 जालौन जनपद जालौन के प्रॉगण में स्थित कैन्टीन के आगामी वित्तीय वर्ष 2025-2026 (शेष वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक) की अवधि के लिये ठेके पर उठाने हेतु पुनः नीलामी दिनांक 12.08.2025 को पूर्वान्ह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक न्यायालय सिविल जज जू0डि0 जालौन के प्रॉगण में होगी। इच्छुक व्यक्ति ठेके की बोली लगाकर लाभ उठाये। धरोहर धनराशि कैन्टीन के लिये मु0 5000/-रुपये प्रत्येक बोलीकर्ता से बोली बोलने से पूर्व अमीन द्वितीय सिविल कोर्ट उरई के पास उसी दिन जमा करनी होगी। अंतिम बोली बोलने वाले व्यक्ति की धरोहर धनराशि मु0 5000/-जमा रहेगी, शेष बोलीकर्ताओं की धरोहर धनराशि नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद वापस कर दी जायेगी।

नीलामी समाप्त होने पर अंतिम बोली बोलने वाले व्यक्ति की सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी। ठेके के बावत निर्धारित स्टाम्प पर इकरार नामा सात दिन के अंदर निष्पादित करना होगा।

1- बोली बोलने वाला व्यक्ति बकायदार एवं काली सूची के अर्न्तगत न आता हो।

2- बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जिला जज जालौन स्थान उरई को सुरक्षित रहेगा।

3- बोली बोलने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला न पंजीकृत हुआ हो और न ही लंबित हो, इस तथ्य का शपथपत्र बोलीकर्ता को बोली बोलने से पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त नीलामी की सूचना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेबसाईट "www.allahabadhighcourtin" व जनपद न्यायाधीश जालौन स्थान उरई की बेबसाईट ecourt.gov.in/jalaun पर भी उपलब्ध है।

दिनांक . 02.08.2025

सिविल जज, जू0डि0
जालौन, जिला जालौन।

सिविल जज
(जू0 डि0) जालौन

प्रतिलिपि सेवा में,

1. कार्यालय उपजिलाधिकारी जालौन को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद जालौन को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. अमीन द्वितीय सिविल कोर्ट को तुरन्त मुनादी एवं विस्तृत प्रचार एवं प्रसार कराने हेतु।
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जजशिप उरई को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. प्रभारी अधिकारी नजारत जजशिप उरई को सूचनार्थ।
6. जिला सूचना अधिकारी, जालौन स्थान उरई को निःशुल्क प्रचार प्रसार करवाने हेतु।
7. दैनिक कर्मयुग प्रकाशन को निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
8. जनपद न्यायालय जालौन स्थान उरई की बेबसाईट ecourt.gov.in/jalaun पर डालने हेतु।